न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 552/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती राधादेवी पत्नी सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम कोजा तहसील गुडा मालानी जिला बाडमेर		1– उमत पुत्री हाजी उमर पत्नी फतु खां 2 सिंधबाई पुत्री हाजीउमर पत्नी मुबीन खां जातियान मुसलमान निवासीगण सेडवा, तहसील सेडवा जिला बाडमेर 3– फतां पुत्री हाजी उमर पत्नी सुहारा जाति मुसलमान निवासी मांझी का तलां, तहसील सेडवा जिला बाडमेर 4– सुल्मान पुत्र हाजी उमर 5– सुभान पुत्र हाजी उमर 6– कायम खान पुत्र हाजी उमर 7– बीबा पत्नी हाजी उमर सभी जातियान मुसलमान निवासीगण सेडवा तहसील सेडवा जिला बाडमेर 8– जमना देवी पत्नी रामूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम कोजा तहसील गुडा मालानी जिला बाडमेर 9– ग्राम पंचायत सेडवा जरिय सरपंच तहसील सेडवा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–5–2016 जो राजस्व अपील संख्या 19/2015 अनवान उमत वगैरा बनाम ग्राम पंचायत वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 व 6, 7 की ओर से।
3– श्री सोहनलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो. बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 21–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 1260 जो ग्राम पंचायत सेडवा द्वारा स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध इस आशय की पेश की कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 के पिता एवं पति उमर वल्द मो0 रहीम कृषि भूमि ग्राम सेडवा तहसील सेडवा के खेत खसरा नंबर 470/98 रकबा 127 बीघा एवं खसरा नंबर 643/336 रकबा 40 बीधा के खातेदार था जिसके फौत होने पर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1260 प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 द्वारा आपस मे मिलावट कर स्वीकृत करवा लिया तथा उक्त म्युटेशन मे रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज नही किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि उक्त नामांतरकरण की आड मे रेस्पो0 संख्या 5 सुभान पुत्र हाजी उमर ने अपने

1/7 हिस्से से अधिक का बेचान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 जमना को कर दिया । उक्त बेचान को भी शून्य घोषित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज कर नोटिस जारी किये गये परंतु अपीलार्थियां को नोटिस जारी एवं तामिल करवाये बिना ही अपील को लोक अदालत राजस्व केम्प मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–2016 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1260 ग्राम सेडवा का निरस्त करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 11–5–2016 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 गण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत अपील मे अपीलार्थिनी को पक्षकार बनाया परंतु जानबूझकर नोटिस तामिल नही कराये तथा अपीलार्थियां को सुने बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया तथा यह भी कथन किया कि अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि देरीना प्रस्तुत अपीलो मे मयाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अपील के गुणावगुण पर निर्णय किया ही नही जा सकता है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलाट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर बिना कोई जांच किये एवं बिना कोई साक्ष्य लिये ही प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जबकि मुस्लिम उतराधिकार अधिनियम मे अलग से प्रावधान है जिसमे पुरूष का महिला से दुगुना हिस्सा होता है जो हिस्सा पिता की फौत के पश्चात पुत्र पुत्रियो मे बंट जाता है, जिसके अनुसार पुत्रियां, पुत्रो को प्राप्त हिस्से से आधे हिस्से तक की भूमि ही प्राप्त करने की अधिकारिनी होती है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे यह तथ्य प्रकट हो चुका था कि रेस्पो0 संख्या 5 सुभान पुत्र हाजी उमर ने अपीलाधीन भूमि के कुछ भाग का बेचान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 जमना को कर दिया तथा उक्त बेचान के आधार पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 जमना का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुका था तो अधीनस्थ न्यायालय को म्युटेशन की कार्यवाही इस तरह के आदेश पारित नही किये जाने चाहिये थे क्योकि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 के पक्ष मे किये गये बेचान के अस्तित्व मे रहते क्रेतागण का नाम राजस्व रेकर्ड से नही हटाया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 7 मृतक खातेदार के विधिक वारिस होते हुए केवल रेस्पो0 संख्या 4 से 6 के नाम ही म्युटेशन दर्ज किया गया जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा यह भी कथन किया कि सभी पक्षकारो को पत्रावली के केम्प मे रखने के नोटिस जारी कर सूचना दी गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सरपंच एवं ग्राम सेवक ने मृतक खातेदार की वंशावली पेश की जाने के बाद जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अन्य ग्राम सालरिया की जमाबंदी संवत 2069–72 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसमे खातेदार मृत उमर के फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण संख्या 1270 दिनांक 6–7–15 को स्वीकृत हुआ जिसमे उमर के पुत्र, पुत्रियो एवं पत्नी सभी का नाम इन्द्राज किया गया इसलिए उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध मे जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेज तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया । ग्राम सेडवा तहसील सेडवा के खेत खसरा नंबर 470/98 रकबा 127 बीघा एवं खसरा नंबर 643/336 रकबा 40 बीधा के खातेदार उमर वल्द मो0 रहीम था जिसके फौत होने पर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1260 दिनांक 20–6–2011 को प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 उसके पुत्र एवं पत्नी के नाम स्वीकृत किया हुआ तथा उक्त म्युटेशन स्वीकृत होने के बाद अपीलाधीन भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 5 सुभान पुत्र हाजी उमर ने उक्त अपीलाधीन भुमि मे से कुछ भाग का बेचान वर्तमान अपीलांट राधादेवी एवं रेस्पो0 संख्या 7 जमनादेवी को कर दिये जाने पर उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज होने के 4 वर्ष बाद दिनांक 22–7–2015 को रेस्पो0 संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार उमर की पुत्रियो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिसमे वर्तमान अपीलार्थियां एवं रेस्पो0 संख्या 7 को पक्षकार अवश्य बनाया । उक्त अपील अधीनस्थ्ज्ञ न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पो0 के सम्मन जारी करने का आदेश आदेशिका दिनांक 22–7–15 मे अवश्य किया हुआ है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पो0गण के सम्मन/नोटिस तामिल अथवा अदम तामिल उपलब्ध नही है न ही

आदेशिका मे सम्मनो की तामिली का कोई जिक्र है तथा अपीलाधीन निर्णय पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प सेडवा मे रखकर निर्णय भी एकतरफा पारित किया जाना प्रकट है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 4 वर्ष विलब से प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत किये गये धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–5–2016 विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः मुस्लिम विधि के प्रावधानो के तहत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।